वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 28.09.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, जनवार्ता, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 28.09.2025

पेट्रोल पंप, बार के लिए अलग से तैयार करें रजिस्टर

वाराणसी। वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में शनिवार को नियोजन अनुभाग की समीक्षा बैठक की गई। प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के प्रकरणों की समीक्षा की गई। वीडीए सचिव ने निर्देश दिए कि नियोजन अनुभाग ने वित्तीय वर्षवार एक रजिस्टर तैयार किया जाए। अनुमतियों का विवरण, नाम, पता और अन्य आवश्यक तथ्य दर्ज किए जाएं। हेल्प डेस्क पर 200 मीटर क्षेत्र से संबंधित प्राप्त आवेदनों के लिए अलग रजिस्टर तैयार किया जाए। पेट्रोल पंप और बार से संबंधित एनओसी के लिए अभिलेखीय रजिस्टर तैयार किया जाए। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 28.09.2025

अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ की कार्रवाई

वाराणसी। नगवां के मौजा मिसिरपुर में तीन बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कराई जा रही थी। बिना ले-आउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। नोटिस भी दिया गया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त नहीं किए जाने पर कार्रवाई की गई। ब्यूरो

जनवार्ता–दि0 28.09.2025

वीडीए: लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करें: सचिव

वीडीए में नियोजन कार्यों की समीक्षा करते डा. वेद प्रकाश मिश्रा।

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में शनिवार नियोजन अनुभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सचिव ने कई अहम निर्देश दिए। जिसमें पुरातत्व विभाग से जुड़े संरक्षित क्षेत्रों में मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनर्निर्माण संबंधी लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने और आवेदकों से समन्वय बनाने पर बल दिया गया। जहाँ गंगा नदी से 200 मीटर के भीतर निर्माण संबंधी अनुमतियों का वित्तीय वर्षवार रजिस्टर तैयार करने तथा सभी जोनों से प्राप्त स्वीकृतियों का अभिलेख रखने को कहा गया।

इसके अलावा हेल्पडेस्क पर अलग रजिस्टर रखने, पेट्रोल पंप व बार से संबंधित एनओसी के लिए पृथक पंजीकरण तथा धारा-80 के तहत लंबित प्रकरणों को तीन दिवस में रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। वहीं नगर नियोजक इसकी साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। बैठक में नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 28.09.2025

लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु संपर्क व समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्रवाई करें सुनिश्चित : डा. वेद प्रकाश

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में शनिवार को नियोजन अनुभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।जिसमें विभिन्न प्रकरणों की प्रगति पर चर्चा करते हुए सचिव द्वारा कई निर्देश प्रदान किए गए। जिनमें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व के प्रतिषिद्ध व विनियमित क्षेत्रों में मरम्मत / नवीनीकरण / पुनर्निर्माण संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की गई। निर्देशित किया गया कि आवेदक स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु उनसे संपर्क व समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा समीक्षा बैठक में मातहतों को निर्देशित करते हुए

एकीकृत अभिलेखीय व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया कि नियोजन अनुभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार एक रजिस्टर तैयार किया जाए, जिसमें सभी जोनों द्वारा दी गई अनुमतियों का क्रमवार विवरण— नाम, पूर्ण पता एवं अन्य आवश्यक तथ्य अंकित हों। हेल्पडेस्क पर 200 मीटर क्षेत्र से संबंधित प्राप्त आवेदनों हेतु पृथक रजिस्टर तैयार किया जाए।पेट्रोल पंप एवं बार से संबंधित एनओसी हेतु पृथक अभिलेखीय रजिस्टर तैयार किया जाए। यह संज्ञान में आया कि उपजिलाधिकारी कार्यालयों से प्राप्त धारा-80 के अंतर्गत अकृषित घोषित किए जाने संबंधी कई प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं। इस पर निर्देशित किया गया कि सभी आवेदन पत्रों को पृथक पंजीका में क्रमवार अंकित किया जाए। पत्र प्राप्ति की तिथि से तीन (03) दिवस के भीतर सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।नगर नियोजक प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, अवर अभियंता (मानचित्र) जे.पी. गुप्ता, ट्रेसर रामविलास यादव, जगदीश प्रसाद, जवाहर प्रसाद, विजय तिवारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।